प्रवेश नियम (सत्र 2021–22)

निम्न नियम सभी कक्षाओं पर लागू होगें।

1. स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए प्राचार्य, प्रवेश समितियों का गठन करेंगें जो अलग–अलग संकायों में प्रवेश संबंधित कार्यो का दायित्व पूर्ण करेगें। तत्पश्चात संकायों में प्रवेश के लिए उक्त समिति और प्राचार्य का निर्णय अन्तिम होगा।
2. कला संकाय में प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में 40 प्रतिशत अंक आवश्यक है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रतिशत अंकों की छूट देय होगी।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रवेशार्थियों को सुविधा उत्तरांचल शासनादेश संख्या 1144/ कार्मिक–2–2001–53 1/2001 द्वारा निर्धारित नीति एवं आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के प्रवेशर्थियों को आरक्षण की सुविधा उत्तराखण्ड शासन उच्च शिक्षा के अनुभाग–4 पत्रांक 1022/xxiv/4/2019–20(03)/2019 दिनांक 30 जुलाई 2019 के अनुसार अनुमन्य होगी जो कि निम्नवत हैं

   अनुसूचित जाति 19 प्रतिशत, अनुसूचित जन जाति 04 प्रतिशत, अन्य पिछडा वर्ग 14 प्रतिशत एवं आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग 10 प्रतिशत। इसके अतिरिक्त उपरोक्त श्रेणियों एवं सामान्य श्रेणियों के प्रवेशार्थियों में निम्न प्रकार से क्षैतिज आरक्षण देय होगा–उत्तराखण्ड महिला 30 प्रतिशत ,भूतपूर्व सैनिक 05 प्रतिशत, दिव्यांग 04 प्रतिशत, स्वतंत्रता संग्राम सैनाी आश्रित 02 प्रतिशत।

   (i) उक्त आरक्षण केवल उत्तराखण्ड राज्य के अभ्यर्थियों के लिए ही होगा।

   (ii) उत्तराखण्ड राज्य के अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक कक्षा में 90 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेंगें। प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 प्रतिशत स्थानों पर ही प्रवेश मिल सकेगा, बशर्ते वे वरीयता सूचकांक में अर्ह हो।

   (iii) उत्तराखण्ड के बाहर की सीटों पर रिक्ति की स्थिति में सूची के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

   (iv) दिव्यांग अथ्यर्थियों को संबंधित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी जिस श्रेणी में आता है उसी श्रेणी में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

4. प्रवेश की अन्तिम तिथि तक यदि इण्टरमीडिएट अनुपूरक या कम्पार्टमेंट का परिणाम घोषित होता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी प्रवेश दिया जा सकता है, बशर्ते उन्होने निर्धारित तिथि तक प्रवेश आवेदन पत्र जमा कर दिये हों।

5. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए तभी अर्ह है यदि दसवीं के बाद दो वर्ष का अन्तराल तथा इण्टरमीडिएट में पांच विषय है।
6. स्नातक विषयों में प्रवेश निर्धारित सीटों पर होगा।
7. संस्थागत प्रवेशार्थी पूर्व संस्था के प्राचार्य का तथा व्यक्तिगत प्रवेशार्थी किसी राजपत्रित अधिकारी/ लोकसभा/ विधानसभा के सदस्य द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करें।
8. माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तथा भारत सरकार के आदेश के अनुपालन में स्नातक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन अनिवार्य विषय के रुप में प्रारम्भ किया जा चुका है। बी0ए0 द्वितीय वर्ष के अभ्यर्थी अन्य तीन विषयों के साथ पर्यावरण विषय का अध्ययन भी करेंगे जिसे उत्तीर्ण करना आवश्यक है।
9. प्रवेश आवेदन पत्र के साथ स्थानान्तरण प्रमाण पत्र तथा चरित्र प्रमाण पत्र मूल रुप से संलग्न करना आवश्यक है। किसी अन्य विश्वविद्यालय के छात्र को एक माह के अन्दर प्रवजन प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है, अन्यथा अस्थाई प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
10. प्रवेश के समय अभ्यर्थी को प्रवेश समिति/प्राचार्य के समक्ष मूल पत्रों सहित स्वंय उपस्थित होना होगा ताकि उसके छाया चित्र एवं प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जा सके।
11. छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर पर छः वर्ष तक ही संस्थागत विद्यार्थी के रुप में अध्ययन करने की सुविधा रहेगी जिसमें एक वर्ष का गैप भी सम्मिलित रहेगा। केवल वे ही छात्र भूतपूर्व छात्र का लाभ ले सकेंगे जिन्होने पूरे समय शैक्षणिक संस्थान में अध्ययन किया हो अथवा विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश पत्र अनुक्रमांक निर्गत किया गया हो और उसने चिकित्सा अवकाश के आधार पर भूतपूर्व छात्र हेतु आवेदन किया हो।
12. जिन छात्र/छात्राओं की गतिविधियां नियन्ता मण्डल प्रशासन की राय में अवांछनीय है उन्हे प्रवेश लेने से रोका जा सकता है या उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा दण्डित अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
13. संकाय एवं विषय बदल कर उसी कक्षा में प्रवेश नही दिया जायेगा जिसकी परीक्षा छात्र–छात्रा एक बार उत्तीर्ण कर चुका हो अर्थात् एक संकाय की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात पुनः उसी कक्षा/दूसरे संकाय मे किसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
14. नियमानुसार अनुचित साधन के अन्तर्गत दण्डित छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
15. प्रवेश की अन्तिम तिथि के बाद अविचारित आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
16. छात्र/छात्रा के शुल्क रसीद एवं परिचय पत्र में भी आवंटित विषय का उल्लेख किया जायेगा।

17. जिन प्रवेशार्थियों को प्रवेश समिति/प्राचार्य प्रवेश प्रदान करेंगें उनकी सूचना समय समय पर संबंधित विषयों के विभागाध्यक्षों को दी जायेगी इन सूचियों के आधार पर विभिन्न विभागों की छात्र उपस्थिति पंजिका में छात्र/छात्राओं के नाम पंजीकृत किये जायेंगे।
18. संस्थागत छात्र/छात्रा एक ही सत्र में किसी अन्य शिक्षण संस्थान में प्रवेश नहीं ले सकेंगे और ना ही उपाधि हेतु परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। यदि कोई छात्र/छात्रा इस नियम का उल्लंघन कर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी।
19. उत्तराखण्ड प्रदेश के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को प्रवेश के पूर्व अपना पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
20. कश्मीरी विस्थापित अभ्यर्थी को प्रवेश तिथि में 30 दिनों के छूट के साथ–साथ सभी कक्षाओं में प्रवेश हेतु न्यूनतम निर्धारित अंको के प्रतिशत में भी 10 प्रतिशत की छूट देय होगी।
21. रैगिंग एक गैर कानूनी गतिविधि घोषित की गयी है, रैगिंग में लिप्त विद्यार्थी को महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा और कानून के दायरे में लाया जायेगा।
22. यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अर्ह परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात दो वर्ष तक का अन्तराल हो तथा वे प्रवेश की सभी शर्तो का अनुपालन करता/करती हैं, तो महाविद्यालय ऐसे प्रवेशार्थी को प्रवेश दे सकता है परन्तु छात्र/छात्राओं द्वारा शपथ पत्र एवं दो चरित्र प्रमाण पत्र जमा करने होंगे जो सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित हो।
23. स्नातक स्तर पर विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु सीटों का निर्धारण महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय नियमानुसार किया जायेगा।
24. किसी भी विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में 02 वर्ष से अधिक गैप के पश्चात प्रवेश नहीं मिलेगा यदि अभ्यर्थी ने किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के पश्चात किसी व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो और उसकी परीक्षा भी दी हो तो उस अवधि को गैप नहीं माना जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी को भी स्नातक 06 वर्ष में उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। उक्त अवधि सुनिश्चित करने पर ही अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा।